न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री पर्वत सिंह चुण्डावत **R.A.S.**

GCMS प्रकरण संख्या 2022/364

प्रकरण संख्या 72/22

अनवान

श्री श्यामलाल पिता वरदा उर्फ वरदीचन्द गाडरी निवासी सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जी कानोड, जिला उदयपुर राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

—: : निर्णय : :— दिनांक :— **16.10.2023**

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा सालेडा पटवार हल्का सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0 की जमाबंदी संवत् 2070–73 की खाता संख्या नया 461 की आराजी नंबर 944 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी एवं अन्य खातेदारों के नाम अंकित है।

2. यह कि उक्त प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी का नाम श्यामलाल पिता वरदा के बजाय सहवन से घनश्याम पिता वरदा गाडरी गलत अंकित हो गया है जबकि प्रार्थी का सही नाम श्यामलाल है। प्रार्थी के पिता वरदा जी का निधन हुआ तब विरासत का नामांतरण भरने के बाद बोल चाल की भाषा में घर पर श्यामलाल को घनश्याम भी कहते थे इस कारण वरदा जी की विरासत के नामांतरण में प्रार्थी का नाम श्यामलाल के बजाय घनश्याम गलत अंकित हो गया जिसे दुरस्त कर घनश्याम पिता वरदा के बजाय श्यामलाल पिता वरदा दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

3. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा जवाब पेश किया गया जो इस प्रकार है कि मौजा सालेडा पटवार हल्का सालेडा में आराजी नंबर 944 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा पर खातेदार घनश्याम पिता वरदा गाडरी 9/210 हि. दर्ज रेकार्ड है। शेष खातेदार बदस्तुर जमाबंदी है। कई वर्षो पूर्व वरदा की विरासत का नामांतरण होने पर प्रार्थी का नाम घनश्याम पिता वरदा राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुआ था। वर्तमान में प्रार्थी के सभी दस्तावेजों में नाम श्यामलाल पिता वरदा अंकित होना जाहिर आया साथ ही जाहिर

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2023.12.14 17:08:17 IST
Reason: SelfAttested

आया की प्रार्थी को घनश्याम नाम से भी बचपन में बुलाया जाता था। कानोड द्वारा जाहिर किया कि उक्त दोनो नाम श्यामलाल व घनश्याम गाडरी ग्राम सालेडा में एक ही व्यक्ति है।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को सुना। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेद प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड की प्रति, वोटर कार्ड राशन कार्ड की प्रति, पेन कार्ड की प्रति व कार्यालय ग्राम पंचायत सालेडा पत्र पेश किया। हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्त अध्ययन किया। प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में घनश वरदा गाडरी अंकित है जो गलत होने से उसे दुरस्त कर घनश्याम पिता बजाय श्यामलाल पिता वरदा किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी द्वा दस्तावेजों के अध्ययन से यह पाया कि प्रार्थी का जमाबंदी में नाम घनश्य वरदा अंकित है लेकिन उक्त नाम लिपिकीय त्रुटि है अथवा अन्य कोई राजव में त्रुटिवश हुआ है यह प्रमाणित नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में की प्रति भी प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ ऐ दस्तावेंज पेश नहीं किया है जो यह प्रमाणित करे की जमाबंदी का खातेदार पिता वरदा ही अन्य दस्तावेजों का श्यामलाल पिता वरदा है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह पाया कि प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकॉर्ड घनश्याम पिता वरदा के बजाय श्यामलाल पिता वरदा दुरस्त किये जाने का किया था लेकिन प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई भी दस्तावें नहीं किया गया जिससे यह साबित हो की राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज घनश्याम पि ही श्यामलाल पिता वरदा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य पा

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल नम्बर से दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2023.12.14 17:08:17 IST
Reason: SelfAttested